प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 19 जून, 2015**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में 'खाद्य प्रसंस्करण शाखा' की योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-89,50 हजार को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-028-29/बजट-आयोजनागत/2015-16, दिनांक: 24.04.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-89,50 हजार (रूपये नवासी लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक /योजना का नाम**	**कोड सं0 /मद का नाम**		**वित्तीच वर्ष 2015-16 के लिए प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**		**4**	5
1	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0403-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास	44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रशासंगिक व्यय	2800	2800
			योग-0403	**2800**	**2800**
2	0408-राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
		43-	सामग्री एवं सम्पूर्ति	1700	1700
			योग -0408	**2000**	**2000**
3	0410-ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन	44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2500	2500
			योग -0410	**2500**	**2500**
4	0413-ई- गवर्नेंस तथा डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण	12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

		42	अन्य व्यय	100	100
		47	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	250	250
			योग -0413	**450**	**450**
5	0416-गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन संबंधी जागरूकता प्रशिक्षण	44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1200	1200
			योग -0416	**1200**	**1200**
			कुल योग -	**8950**	**8950**

(धनराशि रूपये-नवासी लाख पचास हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जहां नियमानुसार आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं संख्या-2-2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30/03/2015 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2-2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30/03/2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-22/2015/497(1)/58-2-2015, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in